

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा कहने का निदेश हुआ है कि कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पहले कुलपति से अनुमति अवश्य लें। विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक सदस्य भी मुख्यालय छोड़ने से पहले अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अवश्य लें।

मेमो नं. आरईजी/सूचना/156/
दिनांक : 28.07.2019

हस्ता/-
कुलसचिव (कार्यकारी)
विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. कुलसचिव
2. वित्त अधिकारी
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सभी गैर-शैक्षणिक अनुभाग
4. कुलपति के गोपनीय सचिव
5. कुलसचिव के निजी सहायक
6. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - अनुरोध है कि अधिसूचना विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करें।